न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—356/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/356)

शंकरसिंह वयस्क पुत्र प्रेमसिंह उर्फ पेमा जी (मृतक) जरिए वारिसान
1/1 श्रीमती रूकमा उम्र वयस्क, (पत्नि)
1/2 श्री रोशन उम्र वयस्क पुत्र
1/3 श्री सुरेश सिंह उम्र वयस्क, पुत्र
1/4 अनिता उम्र वयस्क, पुत्री
1/5 सुनिता उम्र वयस्क पुत्री
2. श्री रोशन वयस्क पुत्र श्री शंकरसिंह
3. श्री सुरेशसिंह वयस्क पुत्र श्री शंकरसिंह
4. अनिता वयस्क पुत्री श्री शंकरसिंह
5. सुनिता वयस्क पुत्री श्री शंकरसिंह
समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री नरेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री कूपसिंह
2. श्री दीपसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री कूपसिंह
3. कान्ता वयस्क पुत्री स्व0 श्री कूपसिंह
4. ललिता वयस्क पुत्री स्व0 श्री कूपसिंह
5. श्री गैना उर्फ गैनसिंह वयस्क पुत्र श्री प्रेमसिंह उर्फ पेमा (मृतक)
   5/1 श्रीमती पतासीदेवी पत्नि स्वर्गीय श्री गेनसिंह
   5/2 श्री मौखमसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गेनसिंह
   सभी जाति रावत निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील ब्यावर।
6. भूधारक तहसीलदार, ब्यावर
7. उपपंजीयक अधिकारी, ब्यावर
8. राजस्थान सरकार बजरिए जिला कलेक्टर, ब्यावर

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2025 राजस्व वाद संख्या 64/2021

उपस्थितः—

1. श्री सी0डी सांखला अभिभाषक अपीलांट
2. श्री करणसिंह रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5/2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—24.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188, बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5/2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई, जवाबदावा हेतु तारीख पेशी मुकरर्र नहीं की गई ना ही जवाबदावा बन्द किया गया और ना ही तनकीयात हेतु कोई पत्रावली मुकरर्र की गई। वादी/अपीलार्थी की साक्ष्य लिये बिना ही तथा बिना साक्ष्य रेकार्ड किये प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री पारित की गई है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अंतिम डिक्री निरस्तनीय है। दिनांक 10/08/2022 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली मुकरर्र की गई व दिनांक 16/08/2022 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद विषयक संयुक्त खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कर होटल मंजूर रेस्टोरेन्ट के नाम से संचालित कर रखा है तथा बिना विभाजन कराये कृषि भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया है, जिसे धवस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा ना तो कोई जवाब लिया गया और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र कोई आदेश जारी किया गया जो आज दिवस तक लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रक्रिया के वादी की जानकारी के बिना तथाकथित आदेशिका में प्रतिवादी के अधिवक्ता पंकज गादिया द्वारा रेकार्ड के अनुसार बटवारा करने में सहमति का इन्द्राज लिखकर बिना वादी की जानकारी के बिना उसके हस्ताक्षर/सहमति के बिना कोई राजीनामा लिये दिनांक 23/08/2022 को निर्णय पारित कर बंटवारा बाबत् तहसीलदार ब्यावर को तहरीर जारी कर दी। जबकि वादीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 संयुक्त खातेदारी भूमि पर गैर कानूनी निर्माण को धवस्त करने का लम्बित है। उक्त तथाकथित दिनांक 23/08/2022 के निर्णय की जानकारी होते ही वादी/अपीलार्थीगण राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। उसके बावजूद भी तथाकथित दिनांक 23/08/2022 को ही तहसीलदार ब्यावर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु प्रार्थना पत्र जारी कर दिया व तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 09/09/2022 को तथाकथित बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिया, जिस पर उक्त मौके पर्चा पर वादीगण की गलत तरीके से उपस्थिति बता दी। जबकि वादी संख्या 2 लगायत 5 ना तो मौके पर उपस्थित थे और ना ही उनके हस्ताक्षर है, तथाकथित वादी संख्या 1 के भी कपटपूर्ण तरीके से पेपर सीलने वाली साईड में हस्ताक्षर करवा रखे है। उक्त तथाकथित मौका पर्चा दिनांक 07/09/2022 पटवारी ने मौके पर नहीं बनाया,

अगर मौके पर बनाया जाता तो स्पष्ट रूप से उक्त मौका पर्चा पर नीचे के स्थान पर रिर्पोट के पश्चात् हस्ताक्षर होते। दिनांक 07/09/2022 को मौका पर्चा हेतु पटवारी या तहसीलदार द्वारा वादीगण को उपस्थिति देने बाबत् कोई सूचना नोटिस तामील करवाई हो ऐसा कोई भी दस्तावेज पटवारी व तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया, इस प्रकार उक्त तथाकथित मौका पर्चा के समय तहसीलदार उपस्थित नहीं थे और ना ही वादी संख्या 2 लगायत 5 को उपस्थित बताया। उक्त तथाकथित मौका पर्चे पर पटवारी हल्का ने संयुक्त खातेदारी भूमि पर जानबूझकर प्रतिवादीगण से मिलाभगती कर खसरा नम्बर 313 के सम्पूर्ण रकबे पर नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री कूपसिंह का कब्जा बता दिया तथा खसरा नम्बर 184 पर वादीगण का पूरा कब्जा होने के बावजूद भी बिना किसी कारण के अपनी मर्जी अनुसार उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा दर्शा कर अलग–अलग कब्जा बता दिया, जबकि पटवारी हल्का द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमियों पर कोई भी नाप–चौप जरीब से किया हो नहीं दर्शाया और ना ही उक्त तथाकथित मौका पर्चा में हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमियों का नाप व सीमाज्ञान किया, ना ही राजस्व नियमों अनुसार खसरा भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता कायम किया, ना ही दर्शाया और ना ही उक्त मौका पर्चा पर आस–पास के ग्रामवासीयान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मौका पर्चा पटवारी ने तहसील कार्यालय में ही गलत रूप से तैयार किया और मौके पर नही आया। उक्त तथाकथित पटवारी हल्का द्वारा जो मौका पर्चा दिनांक 07/09/2022 को बनाया उक्त गलत मौके पर्चे के आधार पर दिनाक 09/09/2022 को गलत रूप से तहसीलदार ब्यावर के नाम बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिया। जबकि उक्त प्रकरण में तथाकथित आदेश दिनांक 23/08/2022 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा चुकी थी और अपील अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कॉल की जा चुकी थी। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार/पटवारी हल्का से मिलाभगती कर, बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये, प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाने की नियत से रोड साईड की भूमियों को उनके हिस्से/कब्जे की होना बिना किसी साक्ष्य के दर्शा दिया। इस कारण उक्त बंटवारा/विभाजन अविधिक होने से निरस्तनीय है। उक्त तथाकथित जो नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08/09/2022 बनाया है उक्त ट्रेस में भी किसी भी प्रकार से उक्त भूमियों में आने–जाने के रास्ते को दर्शाया है और जानबूझकर उचित विभाजन प्रत्येक खसरे का नहीं किया है, बल्कि वादीगण को बिना कोई रास्ता दिये उन्हें बुरी से बुरी भूमि जो पीछे की ओर स्थित थी उस ओर उनका हिस्सा देना दर्शा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25/03/2025 अपने आदेशिका की पालना में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु मिसल दिनांक 03/06/2025 मुकरर्र की, लेकिन उपरोक्त आदेशिका की पालना में कोई भी नोटिस न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान या उनके अधिवक्तागण को जारी नहीं किये गये और ना ही तथाकथित तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति पेश करने हेतु पत्रावली मुकरर्र की गई। दिनांक 10/06/2025 को अपने पूर्व आदेशिका की पालना किये बिना ही वादीगण व उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में केवल मात्र वकील प्रतिवादी के निवेदन पर ही अन्तिम बंटवारा डिक्री कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना ही पारित कर दी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2025 (2) आरआरटी 885, 2022 (1) आरआरटी 135, 2021 (2) आरआरटी 1318 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना के तहत ही प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी की गयी जिसमें सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी मिला जो ऑन रिकॉर्ड है। यह कि अपीलांट द्वारा

अभी अंतिम डिक्री की बहस में पुनः प्राथमिक डिक्री की ही बहस कर रहे हैं जबकि प्रार्थी द्वारा पहले भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की जिसमें न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिनांक 21.02.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलांट की प्राथमिक डिक्री को खारिज किया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों जमाबंदियों व पूर्व में हुए बहामी बंटवारे के अनुसार ही राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा हुआ जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री के दौरान वादीगण/अपीलांट ने स्वयं कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने अपनी सहमति बंटवारे बाबत जाहिर की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गयी तथा उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में अंतिम डिकी जारी की गयी एवं प्राथमिक डिकी की अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पेश की गयी जिस पर न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21.02.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील निरस्त कर दी जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते तथा अपने निर्णय में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर ने उक्त विवरण लिखा "उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान के मध्य बंटवारे बाबत आपसी सहमति एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया गया तथा नियम 18 से 21 की विधिवत रूप से पालना करते हुए किया गया है। इसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में यह कथन किये कि अप्रार्थीगण द्वारा निर्मित होटल को ध्वस्त कर भूमि को समतल कर बंटवारा किया जावे। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील में जो अनुतोष चाहा गया है वह हाजा न्यायालय द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक रूप से पारित किया है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।" अपीलांट द्वारा अपने बहस में वादी के वारिसानों को रिकार्ड पर लेने के बात दोहराई जो कि आधारहीन है क्योंकि अपीलांट के वारिसान पूर्व से रिकॉर्ड पर है तथा सीपीसी की धारा 99 के तहत कोई भी डिक्री/निर्णय ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिसमें गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है जो ना तो उलटी जाएगी, ना ही उपान्तरित की जाएगी। उक्त प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत ही प्राथमिक डिक्री तथा अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी की गयी। जब तक प्राथमिक डिक्री मिस नहीं होता उसकी पालना में अंतिम डिक्री पर आक्षेप पोषणीय नहीं होते हैं। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है क्योंकि उन्होंने अपने तथ्यों से न्यायालय को गुमराह करने का कार्य किया। अपीलांट द्वारा बार–बार अंतिम डिक्री की बहस में प्राथमिक डिक्री की पालना का अनुतोष चाहा गया जो कि पहले ही न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील को निरस्त फरमा दिया जिसमें उनके उजरात जो धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर कर रहे है वह न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील संख्या 296/2022 में विस्तृत रूप से विवेचन कर अधिवक्ता की सहमति के आधार पर तय कर दिया तथा अपीलांट द्वारा किये गये उज्ज्र को निरस्त फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी डिकी को यथावत रखा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 के तहत भी जब प्राथमिक डिक्री ही माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनकर निर्णित कर दी तो प्राथमिक डिक्री के उज्रराज अंतिम डिक्री पर आक्षेप पोषणीय नहीं होंगे तथा हस्तगत प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील संख्या 296/2023 उनवानी शंकरसिंह बनाम नरेन्द्रसिंह के निर्णय दिनांक 21.02.2025 को विस्तृत रूप से विवेचित कर अपीलांट की अपील को खारिज किया तथा उसी उज्ज्र को अंतिम डिक्री में उठाना न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी

प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 10.06.2025 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के लिए राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा किए जाने हेतु सहमति दी गई थी। अर्थात बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षों द्वारा सहमत होने के उपरांत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की विधिवत रूप से पालना करते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में दिनांक 08.09.2022 को बंटवारा प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार कर समस्त पक्षकारों के हक हिस्सों को अलग रंगों से दर्शाकर उक्त बंटवारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2025 पारित किए जाने के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव व राजस्व रिकार्ड अनुसार ही अंतिम डिक्री पारित की गई है किसी भी पक्षकार का हक व हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है।

वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2022 की अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का गहनता से अवलोकन किए जाने के पश्चात पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2022 में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं किए जाने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अपने आदेश दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से यह उज्र उठाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का बिना जवाब दावा लिए व बिना तनकीयात कायम किए प्रकरण में प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई तथा विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण को धवस्त कर भूमि को समतल कर पुनः बंटवारा किया जावे।

प्रकरण में तनकीयात वाद खण्डन किए जाने के उपरांत ही कायम की जाती है, परंतु वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई थी। अपीलांट द्वारा चाहे गए अनुतोष अनुसार ऐसा कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी नियम, आदेश अथवा धारा में विद्यमान नहीं है कि आराजीयात पर निर्मित किसी भी निर्माण को धवस्त कर उक्त भूमि को समतल करवाकर फिर बंटवारा करवाया जाए। कृषि भूमि पर गैर कृषि संबंधी कार्य करने पर अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष मान्य नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर व वादी को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक रूप से पारित किया है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर